

फर्द अहकाम


(नियम 26)

2018/00266

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

भांगीलाल पिता दीश बलाई बनाम भांगरू पिता शतना श्रील वर्गशह

किस्म मुकदमा शा. फर (पत्थरगढी) नं. 218 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
18/05/2018	<p>प्राचीना रज्ज अन्तर्गत धारा 128 एल.भार. एक्ट. बाद जंच प्रस्तुत हुमा। दर्ज रजिस्टर किया जाते। प्राची भांगीलाल पिता दीश बलाई नि. बाबड़ी खेड़ा</p> <p>ने ग्राम बाबड़ी खेड़ा स्थित खेतदारी की आरजी नम्बर 203 रकबा 1.50 ई०</p> <p>की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आरजी प्राची के खेतदारी हक ले दर्ज रेकार्ड हैं। अतः प्राची की ग्राम बाबड़ी खेड़ा स्थित आरजी नम्बर 203 रकबा 1.50 ई०</p> <p>की बिना किसी के फलजे से दरवानगुमी बिना सेटलमेंट नबसे इजुलार पत्थरगढी करके के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी रकबा प्राची पहन करेगे। कमिश्नर शुल्क 200/- रुपए आदेश के सो. इ. प्राची से वसूल हो। पालनाब लहजीलदार रावतभाटा को निरत्रा जाते कि पहनकाराण को सूचित किया जाकर निरम्माजुलार उक्त आरजी की पत्थरगढी की जावे एवं कोई विवार हो तो पुनः वेडा करे। पालना प्राप्त हो। पालनी कैलम शुमार हेक्टर नम्बर से कम हो।</p>	
	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा </p>	